राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीदासर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी : अमीलाल यादव (आर.ए.एस.)

अपील संख्या : 02/2025

मोती खां बनाम सरपंच ग्राम पंचायत चाड़वारा आदि

अपील धारा 75 भ–राजस्व अधिनियम

मोती खां पुत्र मालू खा उम्र साल जाति कायमखानी निवासी दड़ीवा बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान

अपीलान्ट

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत चाड़वास पंचायत समिति बीदासर जिला चूरू
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू
3. चेन सुखी पत्नी सत्यनारायण उम्र वयस्क जाति कुम्हार
4. राधेश्याम पुत्र सत्यनारायण उम्र वयस्क जाति कुम्हार
5. सिमरन पुत्री सत्यनारायण उम्र वयस्क जाति कुम्हार
6. नेहा पुत्री सत्यनारायण उम्र वयस्क जाति कुम्हार
7. निकीता पुत्री सत्यनारायण नाबालिग जरिये संरक्षिका माता चैनसुखी पत्नी सत्यनारायण जाति कुम्हार

   निवासीगण दड़ीबा कस्बा बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
8. कालूराम प्रजापत पुत्र मालाराम प्रजापत उम्र वयस्क जाति कुम्हार प्रजापति निवासी कस्बा बीदासर जिला चूरू
9. मुकेश कुमार पुत्र खुमाराम गोदारा उम्र वयस्क जाति जाट निवासी ग्राम चाड़वास तहसील बीदासर जिला चूरू
10. राजल पुत्री किशनपुरी उम्र वयस्क जाति जाट निवासीनी ग्राम चाड़वास तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान

रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :–

1. एडवोकेट रघुवीर भामू व परमानन्द बिजारणिया वास्ते अपीलान्ट
2. तहसीलदार, बीदासर वास्ते पैरोकार राज.
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 3 ता 10 एकपक्षीय कार्यवाही

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक व निर्णय नामान्तरकरण संख्या 2511 दिनांक 6.3.2025 खिलाफ कानून व साजिशान तौर पर खारीज किया गया है को स्वीकार करने बाबत

निर्णय

दिनांक 27/4/26

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत सरपंच ग्राम पंचायत चाड़वास के आदेश दिनांक व निर्णय नामान्तरकरण संख्या 2511 दिनांक 06.03.2025 इस न्यायालय में पेश की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि खातेदार सत्यनारायण पुत्र रूपाराम जाति कुम्हार प्रजापति निवासी ग्राम चाड़वास तहसील बीदासर जिला चूरू ने अपनी खातेदारी का खेत खसरा संख्या 373 तदादी 2.3523 हेक्टेयर सम्पूर्ण वाके रोही चाड़वास तहसील बीदासर जिला चूरू के खातेदारी राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज स्थित है। खातेदार सत्यनारायण उपरोक्त वर्णित खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 373 रकबा 9 बीघा 6 बिश्वा में अपनी 1/2 हिस्सा में से 0.13 बिघा भूमि खेत सम्पूर्ण समस्त प्रकार के अधिकारों सहित अपीलान्ट को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र दिनांक 16/01/2014 को उपपंजीयक अधिकारी बीदासर से निष्पादित करवाई। विक्रेता सत्यनारायण द्वारा विक्रय की गई भूमि का कब्जा, दखल वास्तविक रूप से अपीलान्ट को सुपुर्द करवा दिया था, जो खरीद करने के दिन से अपीलान्ट के कब्जा–काश्त, उपयोग–उपभोग में चला आ रहा है। अपीलान्ट द्वारा खसरा नम्बर 373 रकबा 9 बीघा 06 बिश्वा में से अपनी 1/2 हिस्सा में से 0.13 बिघा भूमि का नामान्तरण राजस्व रेकॉर्ड में भूलवश दर्ज नहीं करवा सका। तब अपीलान्ट ने श्रीमान् तहसीलदार साहब बीदासर को दिनांक 12/02/2025 को प्रार्थना–पत्र मय विक्रय पत्र की फोटो प्रति पेश की, जिस पर श्रीमान् तहसीलदार साहब ने प्रार्थना–पत्र व विक्रय पत्र की फोटो प्रति पटवारी हल्का चाड़वास को भेजकर मौका व रिकॉर्ड की जांच कर जांच रिपोर्ट दिनांक 17/02/2025 को श्रीमान् तहसीलदार साहब बीदासर को पेश की जिस पर श्रीमान् तहसीलदार बीदासर ने पटवारी हल्का चाड़वास को अपीलान्ट के नाम नामान्तरणकरण भरकर राजस्व रेकॉर्ड में खातेदारी अंकित करें जिस पर पटवारी हल्का चाड़वास ने नामान्तरकरण संख्या 2511 दिनांक 6.3.2025 को भरकर हल्का गिरदावर से जांच करवाकर रेस्पोडेंट संख्या 1 के समक्ष प्रस्तुत किया। रेपोडेन्ट

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू
सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

संख्या 3 ता 7 विक्रेता सत्यनारायण के विधिक वारिसान हैं, विक्रेता के वारिसान की जांच नहीं की गई तब तहसीलदार बीदासर द्वारा फिर पटवारी हल्का को विक्रेता सत्यनारायण के विधिक वारिसानों की जांच वा मौका पर कब्जा किसका है की रिपोर्ट मांगी गई व विक्रय पत्र की रिपोर्ट मांगी गई जिस पर पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में की। विक्रय–पत्र दिनांक 16/01/2014 को निष्पादित किया गया है जो 11 वर्ष पुराना है तथा कृषि भूमि के कब्जा के तथ्य विवादित नहीं हैं ना ही उक्त खसरे में निर्माण पक्का किया गया जिसकी पटवारी हल्का द्वारा कोई रिपोर्ट पेश नहीं की गई है फिर भी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने बिना कारण उक्त नामान्तरकरण संख्या 2511 दिनांक 6.3.2025 को अस्वीकार किया गया, उक्त आदेश व निर्णय रेस्पोडेंट संख्या 1 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत की, जो दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को अपील की सुनवाई के लिए नियत दिन पहले नोटिस फिर रेस्पोडन्ट को जरिये अखबार लोकमत बीकानेर शनिवार 7 फरवरी 2026 को सुनवाई तारीख 12/02/2026 नियत की जाकर प्रकाशित करवाई। रेस्पोडेंट संख्या 1, 3 ता 10 उपस्थित नहीं आये और रेस्पोडेंट के विरूद्ध दिनांक 12/02/2026 को एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 हाजिर अदालत उपस्थित आकर अपना जवाब पेश किया की अपीलान्ट स्वयं साबित करें।

वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गई, वकील अपीलान्ट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया। पत्रावली पर मौजूद रेकॉर्ड का अवलोकन किया पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 17/02/2025, दिनांक 25/02/2025 में एवं दिनांक 03/03/2025 में सत्यनारायण पुत्र रूपाराम प्रजापत द्वारा दिनांक 16/01/2014 को मोती खां पुत्र मालु खां को खेत खसरा नम्बर 373 तादादी 9 बीघा 6 बिस्वा भूमि के 1/2 हिस्सा भूमि में से 13 बिस्वा भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र है। अपीलान्ट का भूमि खरीद करने की दिनांक 16/01/2014 से आज तक खरीददार का उक्त 13 बिस्वा भूमि पर कब्जा है। किन्तु नामान्तरकरण दर्ज नहीं होने से आज दिनांक तक बेचान कर्ता सत्यनारायण का राजस्व रेकॉर्ड में नाम दर्ज है। उक्त भूमि पर किसी न्यायालय में वाद विचाराधीन नहीं है तथा किसी भी न्यायालय का स्थगन नहीं है मौके पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट से कब्ज सम्बन्धित कोई विवाद नहीं है, रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने नामान्तरण संख्या 2511 दिनांक 6.3.2025 को खारिज कर अस्वीकार का आदेश पारित किया गया जो विधि के विपरीत जाकर नामान्तरण खारिज किया गया है, अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर रेस्पोडेंट संख्या 01 का आदेश दिनांक व

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

निर्णय नामान्तरण संख्या 2511 दिनांक 6/3/2025 को अस्वीकार कर अपीलान्ट द्वारा खसरा नम्बर 373 तादादी 2.3523 हेक्टेयर वाके रोही चाड़वास में से खातेदार सत्यनारायण के हिस्सा–पांति भूमि की 1/2 हिस्सा में से 13 बिस्वा भूमि अपीलान्ट मोती खां के नाम दर्ज की जाने का निवेदन किया है।

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 2511 के निर्णय 06/03/2025 को खारिज किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार बीदासर को प्रेषित किया जाकर आदेशित किया जाता है कि वोह प्रकरण में सभी पक्षकारों को सबूत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए नियमानुसार निर्णय पारित करें।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला–चूरू
सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)